

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 476]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2016—पौष 9, शक 1938

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-03/2008/34-1. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** - (1) ये नियम छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2016 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) सेवा के संबंध में, “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जो अनुसूची-एक के कालम (7) में विनिर्दिष्ट है;
 - (ख) “समिति” से अभिप्रेत है अनुसूची-दो एवं चार में तथा निर्दिष्ट विभागीय चयन/पदोन्नति समिति;
 - (ग) “प्रमुख अभियंता”, “मुख्य अभियंता”, “अधीक्षण अभियंता”, “कार्यपालन अभियंता” एवं “सहायक अभियंता” से अभिप्रेत है तत्संबंधी प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैं;
 - (घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
 - (ङ) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

- (च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
- (छ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजपत्रित) सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
4. सेवा का गठन.— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-
- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल हैसियत से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, नियुक्ति प्राधिकारी तथा समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, अनुसूची—एक एवं अनुसूची एक—अ में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परन्तु यह कि शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा:

परन्तु यह कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ—9—6 /2015/3—एफ, दिनांक 5 दिसम्बर, 2015 के अनुसार, तृतीय श्रेणी के गैर—कार्यपालिक पदों के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा।

(ख) अनुसूची—चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पदों को मूल हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

- (2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती के किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 6 में यथा विनिर्दिष्ट रीति में की जायेंगी।

8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.— चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(एक) आयु— (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-एक-अ

(नियम 5 एवं 19 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	समयमान वेतनमान हेतु पात्रता की कालावधि	समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)							
1.	उप अभियंता (सिविल)	406	अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग	9300-34800	4200		प्रमुख अभियंता
				9300-34800	4400	प्रथम 10 वर्ष	
				9300-34800	5400	द्वितीय 20 वर्ष	
				15600-39100	6600	तृतीय 25 वर्ष	
2.	उप अभियंता (वि/यां)	130	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
				9300-34800	4400	प्रथम 10 वर्ष	
				15600-39100	5400	द्वितीय 20 वर्ष	
				15600-39100	6600	तृतीय 25 वर्ष	
3.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूगर्भशास्त्री)	02	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
				9300-34800	4400	प्रथम 10 वर्ष	
				15600-39100	5400	द्वितीय 20 वर्ष	
4.	फोरमेन	01	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
5.	रिग ऑपरेटर	05	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
6.	सहायक रिग ऑपरेटर	05	-तदैव-	5200-20200	2400		-तदैव-
7.	ड्रिलर	10	-तदैव-	5200-20200	2200		-तदैव-

				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
8.	मुख्य मानचित्रकार	01	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
9.	मानचित्रकार	48	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
10.	सहायक मानचित्रकार	47	-तदैव-	5200-20200	2400		-तदैव-
				5200-20200	2800	प्रथम 10 वर्ष	
				9300-34800	4200	द्वितीय 20 वर्ष	
11.	अनुरेखक	102	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)							
12.	मुख्यालय अधीक्षक	01	-तदैव-	9300-34800	4300		-तदैव-
13.	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10	-तदैव-	9300-34800	4200		-तदैव-
14.	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01	-तदैव-	9300-34800	4300		संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर
15.	सहायक ग्रेड-एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10	-तदैव-	5200-20200	2800		प्रमुख अभियंता
16.	सहायक ग्रेड-एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07	-तदैव-	5200-20200	2800		-तदैव-
17.	वरिष्ठ निज सहायक	01	-तदैव-	9300-34800	4400		-तदैव-

18.	निज सहायक	04	—तदैव—	9300—34800	4300		—तदैव—
19.	शीघ्रलेखक	13	—तदैव—	5200—20200	2800		—तदैव—
				9300—34800	4300	प्रथम 10 वर्ष	
				9300—34800	4400	द्वितीय 20 वर्ष	
20.	लेखापाल	04	—तदैव—	5200—20200	2400		—तदैव—
21.	सहायक ग्रेड—दो	15	—तदैव—	5200—20200	2400		—तदैव—
22.	सहायक ग्रेड—तीन	30	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
23.	स्टेनो टायपिस्ट	42	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)							
24.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	—तदैव—	9300—34800	4300		प्रमुख अभियंता
				9300—34800	4800	प्रथम 10 वर्ष	
				15600—39100	5400	द्वितीय 20 वर्ष	
25.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	47	—तदैव—	5200—20200	2400		—तदैव—
				5200—20200	2800	प्रथम 10 वर्ष	
				9300—34800	4200	द्वितीय 20 वर्ष	
26.	केमिस्ट	28	—तदैव—	5200—20200	2800		—तदैव—
				9300—34800	4200	प्रथम 10 वर्ष	

				9300—34800	4300	द्वितीय 20 वर्ष	
27.	सहायक कॅमिस्ट	01	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
28.	वाहन चालक	13	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)							
29.	सहायक ग्रेड—दो	201	अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग	5200—20200	2400		अधीक्षण अभियंता
30.	सहायक ग्रेड—तीन	274	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
31.	संभागीय लेखापाल	36	—तदैव—	9300—34800	4200		महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)							
32.	प्रयोगशाला सहायक	29	अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग	5200—20200	1900		अधीक्षण अभियंता
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	

33.	हैण्डपंप तकनीशियन	876	-तदैव-	5200-20200	2200		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
34.	इलेक्ट्रिशियन	01	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
35.	फिटर	02	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
36.	शिफ्ट ड्राइवर	01	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
37.	टर्नर	02	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
38.	वेल्डर	01	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
39.	ट्रक चालक	28	-तदैव-	5200-20200	1900		-तदैव-
				5200-20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200-20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	

40.	वाहन चालक	94	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
41.	चालक सह सहायक	18	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
42.	एयर कम्प्रेसर चालक	03	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	
43.	मेकेनिक (वि./यां.)	13	—तदैव—	5200—20200	1900		—तदैव—
				5200—20200	2400	प्रथम 10 वर्ष	
				5200—20200	2800	द्वितीय 20 वर्ष	

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण— शब्द “छंटनी किये गये शासकीय सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व गितव्यगिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

- (ज) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के अधीन आयु में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (ट) आयु सीमा के संबंध में, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप: (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप-खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी, विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(दो) शैक्षणिक अर्हता.— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शित है।

(तीन) फीस.— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात्, यह समाधान हो जाये कि वह ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती.— (1) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती: (एक) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती— (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे।

(दो) सेवा हेतु अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा, तथा

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर गठित की जायेगी।

- (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित रखा जाएगा।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी-लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिये भी आरक्षित रखा जायेगा।
- (7) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की अपेक्षित अनुभव के साथ, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

- (8) निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.— (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी तथा विभाग के वेबसाइट में भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगे:

परंतु इस उप-नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के

लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें.— (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेंडर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद

के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) पदोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.— (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर

चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्कर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(5) सेवा के प्रत्येक कैडर हेतु पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(6) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित है, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

16. चयन सूची.— (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची—चार के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक तब ही विधिमान्य रहेगी, जब तक कि नियम 15 के अनुसरण में पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं की जाती:

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. **परिवीक्षा.**— (1) (क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (ख) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
- (ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, कर्मचारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- (2) सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जायेगा।
19. **समयमान वेतनमान.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान प्रदान करने की प्रक्रिया और मानदण्ड सुनिश्चित करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी। समिति में ऐसे सदस्य होंगे जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (5) में दर्शित है। समिति, सभी पात्र अभ्यर्थियों की पिछले पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का संवीक्षा उसी प्रकार करेगी जैसा कि पदोन्नति के मामलों में अंगीकृत किया जाता है। उपरोक्त संवीक्षा के पश्चात् उपयुक्त एवं पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को समयमान वेतनमान प्रदान किया जायेगा।
- (2) यदि कोई शासकीय कर्मचारी, पदोन्नति के माध्यम से या अन्यथा नियुक्त होता है, तो वह पदोन्नति की तिथि से उस संवर्ग में नियुक्त माना जायेगा और वह, उस संवर्ग में सेवा की विहित कालावधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात्, उच्चतर समयमान वेतनमान हेतु पात्र होगा।
20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शहला निगार, सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखियें)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)						
1.	उप अभियंता (सिविल)	406	अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग	9300-34800	4200	प्रमुख अभियंता
2.	उप अभियंता (वि/यां)	130	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
3.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूगर्भशास्त्री)	02	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
4.	फोरमेन	01	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
5.	रिंग ऑपरेटर	05	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
6.	सहायक रिंग ऑपरेटर	05	-तदैव-	5200-20200	2400	-तदैव-
7.	ड्रिलर	10	-तदैव-	5200-20200	2200	-तदैव-
8.	मुख्य मानचित्रकार	01	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
9.	मानचित्रकार	48	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
10.	सहायक मानचित्रकार	47	-तदैव-	5200-20200	2400	-तदैव-
11.	अनुरेखक	102	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)						
12.	मुख्यालय अधीक्षक	01	-तदैव-	9300-34800	4300	-तदैव-
13.	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10	-तदैव-	9300-34800	4200	-तदैव-
14.	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01	-तदैव-	9300-34800	4300	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर

15.	सहायक ग्रेड-एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10	-तदैव-	5200-20200	2800	प्रमुख अभियंता
16.	सहायक ग्रेड-एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07	-तदैव-	5200-20200	2800	-तदैव-
17.	वरिष्ठ निज सहायक	01	-तदैव-	9300-34800	4400	-तदैव-
18.	निज सहायक	04	-तदैव-	9300-34800	4300	-तदैव-
19.	शीघ्रलेखक	13	-तदैव-	5200-20200	2800	-तदैव-
20.	लेखापाल	04	-तदैव-	5200-20200	2400	-तदैव-
21.	सहायक ग्रेड -दो	15	-तदैव-	5200-20200	2400	-तदैव-
22.	सहायक ग्रेड-तीन	30	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
23.	स्टेनो टायपिस्ट	42	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)						
24.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	-तदैव-	9300-34800	4300	प्रमुख अभियंता
25.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	47	-तदैव-	5200-20200	2400	-तदैव-
26.	केमिस्ट	28	-तदैव-	5200-20200	2800	-तदैव-
27.	सहायक केमिस्ट	01	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
28.	वाहन चालक	13	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)						
29.	सहायक ग्रेड-दो	201	अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग	5200-20200	2400	अधीक्षण अभियंता
30.	सहायक ग्रेड-तीन	274	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
31.	संभागीय लेखापाल	36	-तदैव-	9300-34800	4200	महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर

अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)

32.	प्रयोगशाला सहायक	29	अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग	5200-20200	1900	अधीक्षण अभियंता
33.	हैण्डपंप तकनीशियन	876	-तदैव-	5200-20200	2200	-तदैव-
34.	इलेक्ट्रिशियन	01	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
35.	फिटर	02	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
36.	शिफ्ट ड्राइवर	01	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
37.	टर्नर	02	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
38.	वैल्डर	01	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
39.	ट्रक चालक	28	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
40.	वाहन चालक	94	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
41.	चालक सह सहायक	18	-तदैव-	4750-7440	1900	-तदैव-
42.	एयर कम्प्रेसर चालक	03	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-
43.	मेकेनिक (वि./यां.)	13	-तदैव-	5200-20200	1900	-तदैव-

अनुसूची-दो

(नियम 6(2) देखिए)

स.क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत			विभागीय पदोन्नति समिति/चयन समिति	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(1)(क) देखिए)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1)(ख) देखिए)	अन्य सेवा से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा (नियम 6(1)(ग) देखिए)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)							
1.	उप अभियंता (सिविल)	406	95%	5%	—	(एक) प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित अधीक्षण अभियंता—अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता—सदस्य (अनु. जनजाति) (तीन) कार्यपालन अभियंता—सदस्य (अनु. जाति) (चार) कार्यपालन अभियंता—सदस्य (सामान्य)	5% पद तकनीकी (कार्यपालिक) विभिन्न पदों पर कार्यरत डिप्लोमा / डिग्रीधारी कर्मचारी की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे
2.	उप अभियंता (वि/यां)	130	95%	5%	—	—तदैव—	—तदैव—
3.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूगर्भशास्त्री)	02	100%	—	—	—तदैव—	
4.	फोरमेन	01	—	100%	—	—तदैव—	मेकेनिक (वि/यां) संकाय में नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे अर्हताधारी कर्मचारी जिन्होंने

							12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो एवं जिन्हें मशीनो के सुधार कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा।
5.	रिंग ऑपरेटर	05	—	100%	—	—तदैव—	100% पद सहायक रिंग ऑपरेटर जो नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत है, से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
6.	सहायक रिंग ऑपरेटर	05	—	100%	—	—तदैव—	50% पद ड्रिलर से तथा शेष 50% पद हेल्पर/क्लीनर जो नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत है, से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
7.	ड्रिलर	10	100%	—	—	—तदैव—	
8.	मुख्य मानचित्रकार	01	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार मानचित्रकार की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
9.	मानचित्रकार	48	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार सहायक मानचित्रकार की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे। फीडर संवर्ग में अनुपलब्धता की दशा में, कुल पदों के 10% पदों को

							अस्थायी आधार पर उप अभियंताओं के स्थानांतरण द्वारा भरा जायेगा।
10.	सहायक मानचित्रकार	47	25%	75%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार अनुरेखक की पदोन्नति द्वारा 75% पदों को भरा जायेगा।
11.	अनुरेखक	102	100%	—	—	—तदैव—	—
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)							
12.	अधीक्षक मुख्यालय	01	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अधीक्षक की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
13.	अधीक्षक (मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	10	—	100%	—	—तदैव—	100% पदों को, वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सहायक ग्रेड-एक की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
14.	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति पर)	01	—	—	100%	—	संचालनालय कोष एवं लेखा से कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति पर।
15.	सहायक ग्रेड-एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	10	—	100%	—	(एक) प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित अधीक्षण अभियंता-अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता-सदस्य	

						(अनु. जनजाति) (तीन) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (अनु. जाति) (चार) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (सामान्य)	
16.	सहायक ग्रेड-एक (अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	07	—	100%	—	—तदैव—	
17.	वरिष्ठ निज सहायक	01	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार निज सहायक की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
18.	निज सहायक	04	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार शीघ्रलेखक की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
19.	शीघ्रलेखक	13	50%	50%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 50% पदों को स्टेनो टाइपिस्ट की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
20.	लेखापाल	04	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय के सहायक ग्रेड-तीन की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे। लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

21.	सहायक ग्रेड -दो	15	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय के सहायक ग्रेड-तीन राज्य स्तरीय संवर्ग की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
22.	सहायक ग्रेड-तीन	30	75%	25%	—	—तदैव—	25% पदों को प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता के ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, से पदोन्नति द्वारा, भरा जायेगा।
23.	स्टेनो टायपिस्ट	42	100%	—	—	—तदैव—	—
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)							
24.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	02	100%	—	—	—तदैव—	—
25.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	47	100%	—	—	—तदैव—	—
26.	केमिस्ट	28	75%	25%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 25% पदों को प्रयोगशाला सहायक तथा सहायक केमिस्ट जिन्होंने क्रमशः 10 वर्ष और 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
27.	सहायक केमिस्ट	01	—	100%	—	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के

							अनुसार प्रयोगशाला सहायक, जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
28.	वाहन चालक	13	100%	—	—	—तदैव—	
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)							
29.	सहायक ग्रेड-दो	201	—	100%	—	—तदैव—	मण्डल स्तरीय वरिष्ठता अनुसार पात्र सहायक ग्रेड-तीन को पदोन्नत किया जायेगा।
30.	सहायक ग्रेड-तीन	274	75%	25%	—	—तदैव—	25% पदों को अराज्य स्तरीय संवर्ग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
31.	संभागीय लेखापाल	36	—	—	100%	—	महालेखाकार कार्यालय से प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों को भरे जायेंगे।
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)							
32.	प्रयोगशाला सहायक	29	100%	—	—	(एक)अधीक्षण अभियंता (मण्डल कार्यालय) — अध्यक्ष (दो)कार्यपालन अभियंता (अनु. जाति) —सदस्य (तीन)कार्यपालन अभियंता (अनु. जनजाति) — सदस्य (चार)कार्यपालन अभियंता	—

						(सामान्य) — सदस्य	
33.	हैण्डपंप तकनीशियन	876	100%	—	—	—तदैव—	—
34.	इलेक्ट्रिशियन	01	100%	—	—	—तदैव—	—
35.	फिटर	02	50%	50%	—	—तदैव—	50% पदों को नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने हेल्पर तथा क्लीनर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा विहित अर्हता रखते हों, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
36.	शिफ्ट ड्राइवर	01	100%	—	—	—तदैव—	—
37.	टर्नर	02	50%	50%	—	—तदैव—	50% पदों को नियमित स्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने हेल्पर तथा क्लीनर के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा विहित अर्हता रखते हों, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
38.	वैल्डर	01	100%	—	—	—तदैव—	—
39.	ट्रक चालक	28	75%	25%	—	—तदैव—	25% पदों को नियमित स्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने हेल्पर/क्लीनर के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 8वीं कक्षा की परीक्षा

							उत्तीर्ण हो और जो भारी वाहन चालन का अनुज्ञप्ति रखता हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
40.	वाहन चालक	94	75%	25%	—	(एक) अधीक्षण अभियंता (मण्डल कार्यालय) — अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता— सदस्य (अनु. जाति) (तीन) कार्यपालन अभियंता— सदस्य (अनु. जनजाति) (चार) कार्यपालन अभियंता— सदस्य (सामान्य)	25% पदों को नियमित स्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने हेल्पर/क्लीनर के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो और जो हल्के/भारी वाहन चालन का अनुज्ञप्ति रखता हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
41.	चालक सह सहायक	18	100%	—	—	—तदैव—	8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण और हल्के वाहन चालन का अनुज्ञप्ति होना चाहिये।
42.	एयर कम्प्रेसर चालक	03	75%	25%	—	—	25% पदों को नियमित स्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने हेल्पर/क्लीनर के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
43.	मेकेनिक (वि./यां.)	13	50%	50%	—	—तदैव—	50% पदों को नियमित स्थापना पर कार्यरत कर्मचारियों

							जिन्होंने हेल्पर/ क्लीनर के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)					
1.	उप अभियंता (सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	18 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर) / महिलाओं / भूतपूर्व सैनिकों के सदस्यों को नियम 8 के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।
2.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू वैज्ञानिक)	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या प्रायोगिक भू विज्ञान में डिप्लोमा या समकक्ष अथवा इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स धनबाद से प्रायोगिक मृदा विज्ञान में डिप्लोमा।	-तदैव-
3.	ड्रिलर	-तदैव-	-तदैव-	आई.टी.आई से डीजल मेकेनिक ट्रेड का प्रमाण पत्र एवं ड्रिलींग कार्य करने का दीर्घ अनुभव।	-तदैव-
4.	सहायक मानचित्रकार	-तदैव-	-तदैव-	10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल / सिविल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।	-तदैव-
5.	अनुरेखक	-तदैव-	-तदैव-	10+2 अथवा हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। आई.टी.आई से ड्राफ्ट्समेन ट्रेड का प्रमाण पत्र अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है।	-तदैव-
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)					
6.	शीघ्रलेखक	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या	-तदैव-

				पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) तथा मुद्रलेखन परिषद् से— (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खंड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
7.	सहायक ग्रेड-तीन	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ . किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।	-तदैव-

				(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
8.	स्टेनो टायपिस्ट	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण या पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैन्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	-तदैव-
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)					
9.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	-तदैव-	-तदैव-	1. प्रथम श्रेणी में बी.ई./बी.टेक/बी.एस.सी. (इंजीनियरिंग) या स्नातक में न्यूनतम 60% अंक अथवा समतुल्य योग्यता। अथवा 2. एम.सी.ए./ एम.सी.एम./ सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। अथवा भौतिक शास्त्र/गणित/सांख्यिकीय /ऑपरेशन रिसर्च/ अर्थशास्त्र/कम्प्यूटर साइन्स में एम.ए./एम.एस.सी. या न्यूनतम 60% अंक सहित प्रथम श्रेणी में स्नातक या समतुल्य। अथवा 3. बी.सी.ए./बी.सी.एम./सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिये या भौतिक शास्त्र /गणित/ सांख्यिकीय /ऑपरेशन रिसर्च/अर्थशास्त्र / बी.एस.सी./	

				बी.ए. कम्प्यूटर साइन्स / कम्प्यूटर साइन्स में न्यूनतम 60% अंक के साथ स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य।	
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12वीं (10+2) उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10वीं बोर्ड परीक्षा एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/ प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	-तदैव-
11.	केमिस्ट	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ बी.एससी. उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-
12.	प्रयोगशाला सहायक	-तदैव-	-तदैव-	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-
13.	हैण्डपंप तकनिशियन	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से फीटर ट्रेड या मेकेनिकल ट्रेड या मोटर मेकेनिकल ट्रेड, ट्रेक्टर मेकेनिकल ट्रेड, ऑटोमोबाइल मेकेनिक ट्रेड तथा मशीनिष्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिये। फीटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जायेगी।	-तदैव-
14.	इलेक्ट्रिशियन	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से इलेक्ट्रिशियन/वायरमेन ट्रेड का प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-

5.	फिटर	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से फिटर ट्रेड का प्रमाणपत्र भी उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-
16.	शिफ्ट ड्राइवर	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से इस्ट्रुमेंट मेकेनिक ट्रेड का प्रमाणपत्र भी उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-
17.	वेल्डर/टर्नर	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से वेल्डर/टर्नर ट्रेड का प्रमाणपत्र भी उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-
18.	ट्रक चालक/ वाहन चालक/ चालक सह सहायक	-तदैव-	-तदैव-	ट्रक चालक के लिये 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण तथा ट्रक चालक के पास भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिये। वाहन चालक/ चालक सह सहायक के लिये 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण एवं हल्के वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिये।	-तदैव-
19.	एयर कम्प्रेसर चालक	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से मशीनिष्ट ट्रेड का प्रमाणपत्र भी उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-
20.	मेकेनिक (वि./यां.)	-तदैव-	-तदैव-	हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) से मेकेनिकल/ मशीनिष्ट ट्रेड का प्रमाणपत्र भी उत्तीर्ण होना चाहिये।	-तदैव-

टीप:- ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिये, उच्चतर आयु सीमा, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची-चार

(नियम 14 एवं 15 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता की न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का विवरण/ (नियम 14 देखिये)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)					
1.	तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक) विभिन्न पदों पर कार्यरत डिप्लोमा/ डिग्रीधारी कर्मचारी	05 वर्ष	उप अभियंता (सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल)	(एक) प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित अधीक्षण अभियंता- अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (अनु. जाति) (तीन) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (अनु. जनजाति) (चार) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (सामान्य)	5 प्रतिशत पदों को तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक) के विभिन्न पदों पर कार्यरत डिप्लोमा/ डिग्रीधारी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
2.	मेकेनिक (वि./यां.)	मशीनों के मरम्मत कार्य में 12 वर्ष का अनुभव।	फोरमेन	-तदैव-	मेकेनिक (वि./यां.) के संकाय में नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे पात्र कर्मचारियों जिन्होंने 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिसे मशीनों के मरम्मत कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, की पदोन्नति द्वारा।
3.	सहायक रिग ऑपरेटर	ड्रीलिंग कार्य का 8 वर्ष का अनुभव या 80000 फीट फास्ट रिग पर ड्रीलिंग का अनुभव।	रिग ऑपरेटर	-तदैव-	नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत सहायक रिग ऑपरेटर से 100% पदोन्नति द्वारा।
4.	ड्रिलर	ड्रिलर के पद पर 5 वर्ष का अनुभव एवं हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने	सहायक रिग ऑपरेटर	-तदैव-	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 50% पद, ड्रिलर से तथा शेष 50% पद हेल्पर/क्लीनर जो

		तथा माइक्रोमीटर एवं वर्नियर केलिपर पढ़ने की भी क्षमता हो तथा आईल के ग्रेड्स जानने की क्षमता।			नियमित स्थापना के अन्तर्गत कार्यरत है, से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
5.	मानचित्रकार	05 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार मानचित्रकार की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
6.	सहायक मानचित्रकार	मेकेनिकल/ सिविल/ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 03 वर्षीय डिप्लोमा के साथ 08 वर्ष की सेवा हो। अथवा वे जो 08 वर्ष की सेवा के साथ आई.टी. आई. से (सिविल/ मेकेनिकल) ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में 02 वर्ष का ट्रेड प्रमाणपत्र उत्तीर्ण हो। अथवा वे जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक और माध्यमिक ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के लिये 08 वर्ष की सेवा	मानचित्रकार	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार सहायक मानचित्रकार की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे। फीडर संवर्ग में अनुपलब्धता की दशा में, कुल पदों के 10% पदों को अस्थाई आधार पर उप अभियंताओं के स्थानांतरण द्वारा भरा जायेगा।
7.	अनुरेखक	12 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार अनुरेखक की

					पदोन्नति द्वारा 75% पदों को भरा जायेगा।
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)					
8.	अधीक्षक (मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	05 वर्ष	मुख्यालय अधीक्षक	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय के अधीक्षक की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
9.	सहायक ग्रेड—एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	05 वर्ष	अधीक्षक (मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सहायक ग्रेड—एक की पदोन्नति के द्वारा 100% पद भरे जायेंगे।
10.	लेखापाल	—तदैव—	सहायक ग्रेड—एक (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता)	—तदैव—	प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय के लेखापाल के विरुद्ध वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
11.	सहायक ग्रेड—दो (प्रमुख अभियंता/ मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	सहायक ग्रेड—एक (प्रमुख अभियंता/ मुख्य अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	राज्य स्तरीय संवर्ग के लेखापाल एवं सहायक ग्रेड—दो की पदोन्नति के द्वारा प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय के पद भरे जायेंगे। अराज्य स्तरीय संवर्ग के सहायक ग्रेड—दो की पदोन्नति के द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय के पद भरे जायेंगे।

12.	निज सहायक	—तदैव—	वरिष्ठ निज सहायक	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार निज सहायक की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
13.	शीघ्रलेखक	—तदैव—	निज सहायक	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार शीघ्रलेखक की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे।
14.	स्टेनोग्राफिस्ट	—तदैव—	शीघ्रलेखक	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार स्टेनोग्राफिस्ट की पदोन्नति द्वारा 50% पद भरे जायेंगे।
15.	सहायक ग्रेड—तीन (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	लेखापाल/सहायक ग्रेड—दो (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय के सहायक ग्रेड—तीन की पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे। लेखापाल की पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	सहायक ग्रेड—तीन (प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय)	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 25% पदों को प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता कार्यालय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
अराजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)					
17.	सहायक केमिस्ट	—तदैव—	केमिस्ट	—तदैव—	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

18.	प्रयोगशाला सहायक	10 वर्ष / 05 वर्ष	केमिस्ट	-तदैव-	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी, जिन्हें 10 वर्ष की सेवा का अनुभव हो, केमिस्ट के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे तथा अभ्यर्थी जिन्हें 05 वर्ष का अनुभव हो, सहायक केमिस्ट के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र होंगे।
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)					
19.	सहायक ग्रेड-तीन (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-दो (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय)	(एक) अधीक्षण अभियंता (मण्डल कार्यालय) - अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता - सदस्य (अनु. जाति) (तीन) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (अनु. जनजाति) (चार) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (सामान्य)	मण्डल स्तरीय वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार सहायक ग्रेड-तीन को पदोन्नति दी जायेगी।
20.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-तीन (अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय)	-तदैव-	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 25% पदों को अधीक्षण अभियंता / कार्यपालन अभियंता / सहायक अभियंता कार्यालय के ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने हायर सेकेण्डरी या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो, से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
अराजपत्रित अराज्य स्तरीय संवर्ग (तृतीय श्रेणी अन्य)					
21.	हेल्पर / क्लीनर	10 वर्ष	फीटर / टर्नर	(एक) अधीक्षण अभियंता (मण्डल कार्यालय) - अध्यक्ष (दो) कार्यपालन अभियंता	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 50% पदों को नियमित स्थापना के अन्तर्गत

				-सदस्य (अनु. जाति) (तीन) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (अनु. जनजाति) (चार) कार्यपालन अभियंता- सदस्य (सामान्य)	हेल्पर/क्लीनर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और विहित अर्हता रखते हों, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
22.	हेल्पर/क्लीनर	10 वर्ष	एयर कम्प्रेसर चालक	-तदैव-	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 25% पदों को नियमित स्थापना के अन्तर्गत हेल्पर/क्लीनर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।
23.	हेल्पर/क्लीनर	10 वर्ष	मेकेनिक (वि./यां.)	-तदैव-	वरिष्ठता एवं योग्यता के अनुसार 50% पदों को नियमित स्थापना के अन्तर्गत हेल्पर/क्लीनर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो, की पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।